

# ऋणकर्ता को मंजूरी पत्र

संदर्भ - Retail-00001008343-LMS स्थान - BALAISA

दिनांक- 20-10-2021

प्रति.

MRS. MONIKA MISHRA
COURT COMPOUND, JAUNPUR,
COURT JAUNPU,
JAUNPUR,
JAUNPUR, JAUNPUR
UTTAR PRADESH - INDIA . 246729

प्रिय महोदय/ महोदया.

स्वीकार्य सीमा

विषय : बड़ौदा ऑटो ऋण - Baroda Car Loan के लिए आपका रु. 8,70,000.00/- का अनुरोध.

आपके आवेदन पत्र दिनांक 18-10-2021 के संदर्भ में हम सहर्ष सूचित करते हैं कि निम्न नियम व शर्तों के अधीन आपको उपरोक्त ऋण सुविधा प्रदान की गई है

:₹. 8,70,000.00/-

उत्पाद का नाम :बड़ौदा ऑटो ऋण ऋण का उद्देश्य :चौपहिया वाहन विशेष योजना का नाम :Baroda Car Loan सुविधा :Term Loan कुल लागत :11,54,566.00/-अनुरोध की गई सीमा :रु. 8,70,000.00/-

बीमा प्रीमियम राशि :NA वास्तविक मार्जिन :24.65 %

उपलब्ध ब्याज दर 7.65% वार्षिक है, जो कि अग्रलिखित का योग है

भारि बैंक रेपो दर: 4.00 % (वर्तमान में),

मार्क अप: 2.50 % (वर्तमान में),

रणनीतिक प्रीमियम 0.25 % (at present), क्रेडिट स्प्रेड: 0.85% (वर्तमान में),

and Risk Premium of 0.05 % (at present),

:84महीनों से Equated Monthly Installment भुगतान

ब्याज का भुगतान मासिक अंतराल पर किया जाएगा. बैंक को मासिक आ धार पर ब्याज दर (उपरोक्त में से किसी भी संघटक को शामिल करते हुए)

पुनर्निर्धारित करने का अधिकार होगा.

कुल अवधि :<u>84</u> महीने ऋण स्थगन :0

समान मासिक किस्तों में चुकता किया जाना

समान मासिक किस्ता न युकता किया जान .

8 .0446111 VI Equated Monthly Insti

(इएमआई) देय :रु. 13,409.00/-

चुकौती आरंभ :

प्रोसेसिंग शुल्क :रु. 0.00/-

अपफ्रंट शुल्क :रु. 0.00 /-विचलन शुल्क :रु. 0.00 /-

संवितरण: :

जोखिम रेटिंग

आंतरिक रेटिंग स्कोर : : 45 आंतरिक रेटिंग ग्रेड : : CL2

सिबिल ब्यूरो स्कोर:

आवेदक का सिबिल ब्यूरो स्कोर :-1 औसत सिबिल स्कोर :0

प्रदत्त प्रतिभृतियों का विवरण:

प्राथमिक:

Hypothecation of vehicle HYUNDAI VENUE valued at Rs. 11,54,566.00 /-

कोलेटरल: NA

## प्रतिभूति दस्तावेज:

- 1. ऋण मूल्यांकन नोट अंतिम
- 2. घोंदकुनवजयाणा सह वचन पत्र
- 3. ईसीएस अधिदेदकचवेया
- 4. एलडीओसी 1 सत्यापन ज्ञापन
- 5. एलडीओसी 2 व्यक्तियों के लिए डीपी नोट
- 6. एलडीओसी 20 वाहन द्विक्नवजयटबंधन लिखत
- 7. एलडीओसी 57 तत्काल अदायगी दकचवेयार्त युक्त किस्त पत्र
- 8. एलडीओसी 72 विकेता को सीधे भूगतान करने संबंधी प्राधिकार पत्र
- 9. मंजूरी पत्र

### नियम व शर्तें : :

- 1. यह स्वीकृति की तारीख से 6 महीने के लिए वैध है.
- 2. खाते की समीक्षा के समय ब्याज दर की वादिकुनवजर्याक आधार पर समीक्षा की जाएगी. ऋणकर्ता के ब्यूरो स्कोर तथा समीक्षा के समय लागू एक वंदकुनवजर्याीय एमसीएलआर संबंधी स्प्रेंड के आधार पर ब्याज को पुननिर्धारित किया जाएगा. ऋण की अविध को ब्याज दर में बयोतरी/कमी के आधार पर ऐसे समायोजित किया जाएगा कि ऋण । के पूरा चुकता होने तक ईएमआई अपरिवर्तित रहे. यह इस दकचवेयार्त के अधीन होगा कि ऋण की कुल/विस्तारित अविध, योजना संबंधी दिंदकचवेयाानिर्देदकचवेयाों के तहत स्वीकार्य अधिकतम अविध से आगे नहीं जा रही हो या दकचवेयौक्षणिक ऋण दर बैंक की बीआरएलएलआर से संबंद्ध है और प्रथम संवितरण की तारीख को प्रचलित दर पर प्रथम संवितरण की वादिकुनवजर्याक तिथि को, ऐसी तिथि पर लागू बीआरएलएलआर के आ धार पर वादिकुनवजर्याक रूप से पुननिर्धारण के अधीन होगा. बीच की अविध के दौरान बैंक द्वारा घोदिकुनवजयात बीआरएलएलआर में कोई भी परिवर्तन का लागू बीआरएलएलआर पर कोई प्रभाव नहीं होगा.
- 3. अतिदेय अविध के लिए बकाया रकम का भुगतान न करने / विलंब से करने / किसी नियम व दकंचवेयातों का उल्लंघन व अनुपालन न किये जाने पर 2 प्रतिदकंचवेयात वादिकुनवजर्याक की दर से दण्ड ब्याज की वसूली की जाऐगी.
- 4. बैंक द्वारा निर्धारित दर पर एकीकृत प्रोसेसिंग दकंचवेयाुल्क एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित माल और सेवा कर जीएसटी ऋणकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा.

- 5. निर्धारित नियम व दकंचवेयातों के अनुसार खाते के संतों दकुनवजयाजनक संचालन न होने पर खाते पर दी जा रही किसी छूट को समाप्त करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है.
- 6. यह स्वीकृति की तारीख से 6 महीने के लिए वैध है.
- 7. समान मासिक किस्तों ईएमआई का निर्धारण ऋणकर्ता की सुविधा को ध्यान में रखकर किया जाता है, जहां पूरे ऋण के लिए लिया जाने वाला ब्याज ऋण की पूरी अविध में विस्तारित होता है. ऐसी सभी समान मासिक किस्तों का भुगतान ऋण खाते की पूर्ण चुकौती/ ऋण का निपटान नहीं माना जाएगा. सभी समान मासिक किस्तों ईए मआई का भुगतान हो जाने पर खाते में अतिदेय/ दण्ड ब्याज / ब्याज दर में परिवर्तन होने पर अतिरिक्त ब्याज, अन्य आकिस्मक प्रभार के नामे किए जाने के कारण दकचवेयों दकुनवजया रादिकचवेया, यदि कोई हो, का ऋण कर्ता द्वारा अलग से भुगतान किया जाएगा.
- 8. खाते की समीक्षा के समय ब्याज दर की वादिकुनवजर्याक आधार पर समीक्षा की जाएगी. ऋणकर्ता के ब्यूरो स्कोर तथा समीक्षा के समय लागू एक वंदकुनवजर्याीय एमसीएलआर संबंधी स्प्रेंड के आधार पर ब्याज को पुनिर्धारित किया जाएगा. ऋण की अविध को ब्याज दर में बयोतरी/कमी के आधार पर ऐसे समायोजित किया जाएगा कि ऋण । के पूरा चुकता होने तक ईएमआई अपरिवर्तित रहे. यह इस दकचवेयार्त के अधीन होगा कि ऋण की कुल/विस्तारित अविध, योजना संबंधी दिंदकचवेयाानिर्देदकचवेयाों के तहत स्वीकार्य अधिकतम अविध से आगे नहीं जा रही हो या दकचवेयौक्षणिक ऋण दर बैंक की बीआरएलएलआर से संबंद्ध है और प्रथम संवितरण की तारीख को प्रचलित दर पर प्रथम संवितरण की वादिकुनवजर्याक तिथि को, ऐसी तिथि पर लागू बीआरएलएलआर के आधार पर वादिकुनवजर्याक रूप से पुनिधिरण के अधीन होगा. बीच की अविध के दौरान बैंक द्वारा घोदिकुनवजयात बीआरएलएलआर में कोई भी परिवर्तन का लागू बीआरएलएलआर पर कोई प्रभाव नहीं होगा.
- 9. अतिदेय अविध के लिए बकाया रकम का भुगतान न करने / विलंब से करने / किसी नियम व दकंचवेयातों का उल्लंघन व अनुपालन न किये जाने पर 2 प्रतिदकंचवेयात वादिकुनवजर्याक की दर से दण्ड ब्याज की वसूली की जाऐगी.
- 10. समान मासिक किस्तों ईएमआई का निर्धारण ऋणकर्ता की सुविधा को ध्यान में रखकर किया जाता है, जहां पूरे ऋण के लिए लिया जाने वाला ब्याज ऋण की पूरी अविध में विस्तारित होता है. ऐसी सभी समान मासिक किस्तों का भुगतान ऋण खाते की पूर्ण चुकौती / ऋण का निपटान नहीं माना जाएगा. सभी समान मासिक किस्तों ईए मआई का भुगतान हो जाने पर खाते में अतिदेय / दण्ड ब्याज / ब्याज दर में परिवर्तन होने पर अतिरिक्त ब्याज, अन्य आकिस्मक प्रभार के नामे किए जाने के कारण दकचवेयों दकुनवजया रादिकचवेया, यदि कोई हो, का ऋण कर्ता द्वारा अलग से भगतान किया जाएगा.
- 11. बैंक द्वारा निर्धारित दर पर एकीकृत प्रोसेसिंग दकंचवेयाुल्क एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित माल और सेवा कर जीएसटी ऋणकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा.
- 12. निर्धारित नियम व दकचवेयातों के अनुसार खाते के संतोदकुनवजयाजनक संचालन न होने पर खाते पर दी जा रही किसी छूट को समाप्त करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है.
- 13. बैंक के ऋण बकाया का कम से कम 100 प्रतिदक्तचवेयात बीमा बीमित रादिकचवेया द्वारा कवर होना चाहिए.
- 14. बैंक के ऋण बकाया का कम से कम 100 प्रतिदक्तचवेयात बीमा बीमित रादिकचवेया द्वारा कवर होना चाहिए.
- 15. निर्धारित नियम व दकचवेयातों के अनुसार खाते के संतोदकुनवजयाजनक संचालन न होने पर खाते पर दी जा रही किसी छूट को समाप्त करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है.
- 16. बीमा पॉलिसी को बैंक के पक्ष में पहले प्रभार के साथ समनुदेदिक चवेयात किया जाना चाहिए.
- 17. किसी भी बीमा प्रदाता अर्थात हमारी टाईंदकयअप भागीदारी वाली कंपनियों के साथंदकयसाथ अन्य कंपनियों से बीमा का लाभ लिया जा सकता है.

- 18. कम ब्याज दर का लाभ केवल उस अविध के लिए उपलब्ध होगा जहां बीमा कवर उपलब्ध है अर्थात उधारकर्ता को यह सुनिदिकचवेयचत करना है कि ऋण अविध के दौरान सभी समय बीमा पॉलिसी वैध हो. बीमा कवर केडिट बीमा. टर्म बीमा के रूप में भी हो सकता है.
- 19. भारतीय विनियमन और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किसी भी बीमा प्रदाता यानी हमारी टाईं दकयअप भागीदारी वाली कंपनियों के साथदकयसाथ अन्य से भी बीमा पॉलिसी ली जा सकती है.
- 20. बैंक के ऋण बकाया का कम से कम 100 प्रतिदक्षचवेयात बीमा बीमित रादिकचवेया द्वारा कवर होना चाहिए.
- 21. बीमा पॉलिसी को बैंक के पक्ष में पहले प्रभार के साथ समनुदेदिक चवेयात किया जाना चाहिए.
- 22. किसी भी बीमा प्रदाता अर्थात हमारी टाईंदकयअप भागीदारी वाली कंपनियों के साथंदकयसाथ अन्य कंपनियों से बीमा का लाभ लिया जा सकता है.
- 23. कम ब्याज दर का लाभ केवल उस अविध के लिए उपलब्ध होगा जहां बीमा कवर उपलब्ध है अर्थात उधारकर्ता को यह सुनिदिकचवेयचत करना है कि ऋण अविध के दौरान सभी समय बीमा पॉलिसी वैध हो. बीमा कवर केडिट बीमा, टर्म बीमा के रूप में भी हो सकता है.
- 24. भारतीय विनियमन और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किसी भी बीमा प्रदाता यानी हमारी टाईंदकयअप भागीदारी वाली कंपनियों के साथंदकयसाथ अन्य से भी बीमा पॉलिसी ली जा सकती है.
- 25. खाते की समीक्षा के समय ब्याज दर की वादिकुनवजर्याक आधार पर समीक्षा की जाएगी. ऋणकर्ता के ब्यूरो स्कोर तथा समीक्षा के समय लागू एक वंदकुनवजर्याीय एमसीएलआर संबंधी स्प्रेंड के आधार पर ब्याज को पुनिर्धारित किया जाएगा. ऋण की अविध को ब्याज दर में बयोतरी / कमी के आधार पर ऐसे समायोजित किया जाएगा कि ऋण व के पूरा चुकता होने तक ईएमआई अपरिवर्तित रहे. यह इस दकंचवेयार्त के अधीन होगा कि ऋण की कुल / विस्तारित अविध, योजना संबंधी दिंदकंचवेयाानिर्देंदकंचवेयाों के तहत स्वीकार्य अधिकतम अविध से आगे नहीं जा रही हो या दकंचवेयौक्षणिक ऋण दर बैंक की बीआरएलएलआर से संबंद्ध है और प्रथम संवितरण की तारीख को प्रचलित दर पर प्रथम संवितरण की वादिकुनवजर्याक तिथि को, ऐसी तिथि पर लागू बीआरएलएलआर के आधार पर वादिकुनवजर्याक रूप से पुनिर्धारण के अधीन होगा. बीच की अविध के दौरान बैंक द्वारा घोदिकुनवजयात बीआरएलएलआर में कोई भी परिवर्तन का लागू बीआरएलएलआर पर कोई प्रभाव नहीं होगा.
- 26. अतिदेय अवधि के लिए बकाया रकम का भुगतान न करने / विलंब से करने / किसी नियम व दकंचवेयातों का उल्लंघन व अनुपालन न किये जाने पर 2 प्रतिंदकंचवेयात वादिकुनवजर्याक की दर से दण्ड ब्याज की वसूली की जाऐगी.
- 27. बैंक द्वारा निर्धारित दर पर एकीकृत प्रोसेसिंग दकंचवेयाुल्क एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित माल और सेवा कर जीएसटी ऋणकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा.
- 28. निर्धारित नियम व दकंचवेयातों के अनुसार खाते के संतों दकुनवजयाजनक संचालन न होने पर खाते पर दी जा रही किसी छूट को समाप्त करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है.
- 29. यह स्वीकृति की तारीख से 6 महीने के लिए वैध है.
- 30. समान मासिक किस्तों ईएमआई का निर्धारण ऋणकर्ता की सुविधा को ध्यान में रखकर किया जाता है, जहां पूरे ऋण के लिए लिया जाने वाला ब्याज ऋण की पूरी अविध में विस्तारित होता है. ऐसी सभी समान मासिक किस्तों का भुगतान ऋण खाते की पूर्ण चुकौती / ऋण का निपटान नहीं माना जाएगा. सभी समान मासिक किस्तों ईए मआई का भुगतान हो जाने पर खाते में अतिदेय / दण्ड ब्याज / ब्याज दर में परिवर्तन होने पर अतिरिक्त ब्याज, अन्य आकिस्मक प्रभार के नामे किए जाने के कारण दकचवेयों दकुनवजया रादिकचवेया, यदि कोई हो, का ऋण कर्ता द्वारा अलग से भुगतान किया जाएगा.



### LETTER OF SANCTION TO THE BORROWER

**Ref: ADV**/ Retail-00001008343-LMS **Place:** BALAISA

**Date:** 20-10-2021

To.

MRS. MONIKA MISHRA

COURT COMPOUND, JAUNPUR,

COURT JAUNPU,

JAUNPUR,

JAUNPUR, JAUNPUR

UTTAR PRADESH - INDIA . 246729

Dear Sir / Madam,

RE: Your request for Baroda Auto Loan - Baroda Car Loan of Rs. 8,70,000.00/-

With reference to your application dated 18-10-2021, we are pleased to inform you that we have sanctioned you the above credit facility, on the terms and conditions as under:

#### TERMS AND CONDITIONS:

NAME OF PRODUCT :Baroda Auto Loan

PURPOSE OF LOAN :@VEHICLES FOUR WHEELER

NAME OF THE SPECIFIC SCHEME :Baroda Car Loan FACILITY :Term Loan :11,54,566.00/-LIMIT REQUESTED :Rs. 8,70,000.00/-PERMISSIBLE LIMIT :Rs. 8,70,000.00/-

Insurance Company: NA
Insurance Scheme: NA
INSURANCE PREMIUM AMOUNT: NA
INSURANCE PREMIUM AMOUNT :NA
ACTUAL MARGIN: 24.65 %

Applicable Rate of Interest is **7.65%**, per annum, which is a sum of RBI Repo Rate: **4.00%** (at present),

Mark Up of: 2.50 % (at present), Strategic Premium 0.25 % (at present),

RATE OF INTEREST Credit spread of **0.85%** (at present),

and Risk Premium of 0.05 % (at present),

The Interest shall be payable at monthly rests. The Bank shall be entitled to reset the Interest rate (including any of its components

mentioned above) on monthly basis.

TOTAL PERIOD :84months

MORATORIUM :0

REPAYBLE IN :84 months by Equated Monthly Installment Payment

EMI :Rs. 13,409.00/-

COMMENCING FROM

Installment Commencement Date(DD

/MM/YYYY) : 04-12-2021 PROCESSING CHARGES : Rs. 0.00/-UPFRONT CHARGES :Rs. 0.00 /-DEVIATION CHARGES :Rs. 0.00 /-

DISBURSEMENT :

RISK RATING

INTERNAL RATING SCORE : 45 INTERNAL RATING GRADE : CL2

**CIBIL BUREAU SCORES:** 

CIBIL BUREAU SCORE OF :-1

APPLICANT
AVERAGE CIBIL SCORE :0

### **Details of Securities offered:**

Primary:

Hypothecation of vehicle HYUNDAI VENUE valued at Rs. 11,54,566.00/-

Collateral: NA

#### **SECURITY DOCUMENTS:**

- 1. Credit Appraisal Note Final
- 2. Declaration\_Cum\_Undertaking
- 3. ECS Mandate
- 4. LDOC 1 Attestation Memo
- 5. LDOC 2 DP Note for Individuals
- 6. LDOC 20 Instrument of Hypothecation of vehicle
- 7. LDOC 57 Letter of instalment with accelaration clause
- 8. LDOC 72 Letter of authority to make payment directly to the dealers
- 9. Sanction Letter

### **Terms & Conditions:**

- 1. This sanction is valid for Six months from the date of sanction
- 2. This sanction is valid for Six months from the date of sanction
- 3. Equated monthly instalments are fixed for the convenience of the borrower, whereby interest payable towards the loan is spread over the entire term of repayment fixed. The repayment of all such equated monthly instalment will not be construed as full repayment /settlement of loan account. On payment of all equated monthly instalments, residual amount if any, in the account due to debiting of overdue / penal interest / additional interest as a consequence of revision in interest rates, other incidental charges shall be paid separately by the borrower
- 4. The Rate of Interest will be reviewed annually at the time of review of the account. The Rate of Interest will be revised based on the Internal Rating of the borrower and the applicable spread over one year BRLLR in force at the time of review. Period of loan will be adjusted as per increase /decrease in rate of interest, keeping EMIs at fixed level till full repayment subject to the condition that total/extended tenure of the Loan does not go beyond the maximum period permissible under the scheme as per guidelines.

- 5. Penal interest @ 2% p.a. will be charged for non-payment / delayed payment / breach/violation /non-compliance of any terms and; conditions of the sanction on the entire outstanding for overdue period
- 6. Equated monthly instalments are fixed for the convenience of the borrower, whereby interest payable towards the loan is spread over the entire term of repayment fixed. The repayment of all such equated monthly instalment will not be construed as full repayment /settlement of loan account. On payment of all equated monthly instalments, residual amount if any, in the account due to debiting of overdue / penal interest / additional interest as a consequence of revision in interest rates, other incidental charges shall be paid separately by the borrower
- 7. The unified processing charges at the rate prescribed by the Bank and Service Tax and Education Cess thereon as prescribed by Government of India will be borne by the borrower.
- 8. Insurance (sum assured) should cover atleast 100% of Banks loan outstanding at all times.
- 9. Bank reserves the right to recall the concessions, if any, if the account is not conducted satisfactory as per stipulated terms of sanction.
- 10. Insurance policy should be duly assigned in favour if Bank with Banks first charge.
- 11. Insurance may be availed from any insurance provider ie our tie-up partenered companies as well as other companies.
- 12. Benefit of lower interest will be available only for the period where insurance coverage is available ie borrower to ensure that the insurance policy is valid at all time during the concurrency of loan. Insurance cover may be in the form of Credit insurance, Term insurance.
- 13. Insurance policy may be availed from any IRDA approved insurance provider ie our tie-up partnered companies as well as others.
- 14. Insurance (sum assured) should cover atleast 100% of Banks loan outstanding at all times.
- 15. Insurance policy should be duly assigned in favour if Bank with Banks first charge.
- 16. Insurance may be availed from any insurance provider ie our tie-up partenered companies as well as other companies.
- 17. Benefit of lower interest will be available only for the period where insurance coverage is available ie borrower to ensure that the insurance policy is valid at all time during the concurrency of loan. Insurance cover may be in the form of Credit insurance, Term insurance.
- 18. Insurance policy may be availed from any IRDA approved insurance provider ie our tie-up partnered companies as well as others.
- 19. The Rate of Interest will be reviewed annually at the time of review of the account. The Rate of Interest will be revised based on the Internal Rating of the borrower and the applicable spread over one year BRLLR in force at the time of review. Period of loan will be adjusted as per increase /decrease in rate of interest, keeping EMIs at fixed level till full repayment subject to the condition that total/extended tenure of the Loan does not go beyond the maximum period permissible under the scheme as per guidelines.
- 20. Penal interest @ 2% p.a. will be charged for non-payment / delayed payment / breach/violation /non-compliance of any terms and; conditions of the sanction on the entire outstanding for overdue period

- 21. The unified processing charges at the rate prescribed by the Bank and Service Tax and Education Cess thereon as prescribed by Government of India will be borne by the borrower.
- 22. Bank reserves the right to recall the concessions, if any, if the account is not conducted satisfactory as per stipulated terms of sanction.

यह सुविधा आपको वार्षिक समीक्षा के अधीन 84 माह की अविध के लिये प्रदान की गई है. बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह इस सुविधा को वापस ले ले अथवा अपने नियम व शर्तों में कभी भी परिवर्तन कर सके. बैंक को यह भी अधिकार होगा कि किसी नियम व शर्तों का अनुपालन न करने या उल्लंघन करने, कोई सूचना/विवरण के गलत पाये जाने अथवा ऐसे स्थिति के उभरने जिसमें बैंक की राय में ऋण/ सुविधा को जारी रखना बैंक के हितों के विरुद्ध होगा, बैंक द्वारा बिना कोई कारण बताए सविधा/ऋण को बंद करने का अधिकार होगा.

The facility is granted to you for a period of 84 months, subject to annual renewal, the Bank reserves the right to recall the facility or alter the terms and conditions at any time, during the currency of the facility. Bank also reserves the right to discontinue the facility/advance and to with-hold/stop any disbursement, without giving any notice in case of non-compliance/breach of any of the terms and conditions stipulated herein, or any informations / particulars furnished to us found to be incorrect or in case of any development or situations wherein in the opinion of the Bank, its interest will be/ is likely to be prejudicially affected by such continuation or disbursements.

यदि आपको उपर्युक्त नियम व शर्तें स्वीकार्य हैं तो कृपया इस पत्र पर इस आशय के अपने हस्ताक्षर के बाद इसे हमें वापस कर दें कि आपको इस स्वीकृति के सभी नियम व शर्त स्वीकार्य है.

If the above terms and conditions are acceptable to you, kindly arrange to return a copy of this letter duly signed, for having found acceptable/accepted the terms and conditions of sanction

भवदीय Yours faithfully,

शाखा प्रबंधक Branch Manager

स्वीकार किया गया Accepted

> ( MRS. MONIKA MISHRA ) ऋणकर्ता /Borrower

स्थान Place दिनांक Date